भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4733

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2019

सोमवार, 31 आषाढ़, 1941 (शक)

विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए बजट आबंटन

4733. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः **श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः **श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**
श्री चन्द्रशेखर साहूः **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2018-19 के दौरान कौशल का विकास करने/कौशल विकास को और उन्नत बनाने हेतु कौशल विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या हो;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसे किस हद तक प्राप्त किया गया है और इसमें यदि कोई कमी हो तो इस कमी के क्या कारण हो;

(ग) क्या वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन का उपयोग करने में कौशल विकास मंत्रालय असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हो और इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर इसका क्या असर रहा है;

(ङ) क्या कौशल विकास मंत्रालय को अपने वित्तीय निष्पादन में सुधर की आवश्यकता है तथा आवंटित निधियां को खर्च करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत है;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार योजना क्या है और वर्ष 2019-20 के दौरान लोगों को कौशल प्रदान करने/उनके कौशल को उन्नत बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हो; और

(छ) मंत्रालय में समुचित गठन, प्रभावी ढंग से योजना तैयार करने तथा क्रियान्वयन तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हो?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं के कौशलीकरण/ पुनर्कौशलीकरण और कौशल उन्नयन के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इसके प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): जनशिक्षण संस्थान (जेएसएस); राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस); शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) आदि आते हैं।

इसके पीएमकेवीवाई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत 2016 से 2020 की अवधि के भीतर 1 करोड़ व्यक्तियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) और विशेष परियोजना (एसपी) में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कीम के दो घटक हैं- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाला केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक। 12.06.2019 तक पीएमकेवीवाई की उपलब्धियां **अनुबंध-I** पर दी गई हैं।

जन शिक्षण संस्थान स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए सहायता दी जाती है। यह पहल शहरी मलिन बस्तियों तथा ग्रामीण भारत की विशिष्ट जनसांख्यिक विशेषता का लाभ उठाने की दिशा में की जा रही है। वर्ष 2018-19 में भारत के 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 247 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) परिचालनरत थे। 2018-2019 के दौरान जेएसएस की कुल प्रशिक्षण क्षमता 3.72 लाख लाभार्थी प्रति वर्ष थी। एमएसडीई की योजना वर्ष 2019-20 में 83 नए पहचाने गए जिलों में नए जेएसएस शामिल करके तथा मौजूदा जेएसएस की 20 प्रतिशत क्षमता अधिक बढ़ाकर प्रशिक्षण क्षमता को 4.82 लाख लाभार्थी प्रति वर्ष करने की है।

सरकार ने युवाओं को जॉब प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उनकी रोजगार परकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) को आरंभ किया है। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2019-20 तक शिक्षुओं की भर्ती को 50 लाख तक बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमश: लगभग 3.78 लाख, 4.00 लाख तथा 4.45 लाख उम्मीदवारों ने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आईटीआई के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम का कार्यानवयन कर रहा है। इसके द्वारा उद्योगों में विभिन्न ट्रेडों के लिए कुशल जन शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस समय देश में 14494 आईटीआई (2876 सरकारी तथा 11,618 निजी आईटीआई) हैं जिनमें बैठने की क्षमता 33.98 लाख है। ये 136 से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कुछ प्रचलित ट्रेडों में इलैक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर तथा मेकेनिक मोटर वाहन इत्यादि हैं। लक्षित प्रशिक्षार्थी कक्षा 10 उत्तीर्ण हैं।

(घ) से (ड.) मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-।।** पर दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी धन अवशोषण तथा उपभोग क्षमता के अनुसार उनके अनुरोध के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

(च) और (छ) मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ाने की योजनाएं तैयार कर रहा है जिनमें उद्योग नीत सेक्टर कौशल परिषदों के माध्यम से कौशल तंत्र में उद्योगों की वृहत्तर भागीदारी प्रोत्साहित करना; प्रशिक्षण को उद्योग संगत बनाने के लिए अर्हताओं को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे के अनुरूप बनाना, उपयुक्त प्रत्यायन और संबद्धता ढांचे के माध्यम से उच्च रोजगार क्षमता वाले पाठ्यक्रम चलाने के लिए उद्योगों के प्रशिक्षण प्रदाताओं के रूप में भागीदारी प्रोत्साहित करना; प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी)/प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) के लिए उद्योग संबद्धता और उम्मीदवारों की तैनाती के लिए समर्पित मेंटरशिप-कम-प्लेसमेंट प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है। टीपी को क्षेत्र कौशल परिषदों के सहयोग से प्रत्येक 6 माह में तैनाती/रोजगार मेलों का आयोजन करने और स्थानीय उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस स्कीम में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को तैनाती प्रदान करने के लिए टीसी/टीपी को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण लागत के अंतिम 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वेतन रोजगार या स्व-रोजगार प्रदान करने के बाद की जाएगी। इसके अलावा, 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की नियामक अवसंरचना तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण; उम्मीदवार के अधिवासी जिले में या जिले के बाहर तैनाती दिए जाने के आधार पर प्रशिक्षण के पश्चात् 2 या 3 माह के लिए विशेष समूह (महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगों) तथा विशेष क्षेत्रों (वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर) के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह 1500 रूपए की तैनाती पश्चात् सहायता लागू है।

अनुबंध-I

22.07.2019 को पूछे गए लोग सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4733 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

12.06.2019 तक पीएमकेवीवाई की वास्तविक उपलब्धियां:

स्कीम	प्रशिक्षित				कुल प्रमाणित	कुल सूचित तैनाती
	एसटीटी	आरपीएल	विशेष परियोजना	कुल प्रशिक्षित		
पीएमकेवीवाई 1.0	18,04,110	1,81,798	0 (पीएमकेवीवाई में विशेष परियोजना नहीं)	19,85,908	14,34,115	2,62,739*
सीएससीएम-पीएमकेवीवाई 2.0	27,06,394	21,03,959	1,00,179	49,10,532	37,90,959	12,07,049
सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0	3,01,398	लागू नहीं	लागू नहीं	3,01,398	2,06,306	53,491

*तैनाती ट्रैकिंग अनिवार्य नहीं थी

अनुबंध-।।

22.07.2019 को पूछे गए लोग सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4733 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**निधि आबंटन**		
		अनुमानित बजट 2016-17	**अनुमानित बजट 2017-18**	**अनुमानित बजट 2018-19**
1.	कौशल विकास			
	केंद्र घटक	1357.00	1046.5	1366.39
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	0.00	543.50	787.95
2.	प्रशिक्षुता तथा प्रशिक्षण			
	केंद्र घटक	279.17	975.59	602.34
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	0.00	175.81	144.05
3.	पॉलिटेकनिक्स स्कीम*			
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	0.00	0.00	190.00
4.	**अन्य स्कीमें****			
	केंद्र घटक	168.11	274.74	309.27
	उप-योग			
	केंद्र घटक	1804.28	2296.83	2278.00
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	0.00	719.31	1122.00
	सकल योग	**1804.28**	**3016.14**	**3400.00**
	* वर्ष 2017-18 के दौरान स्कीमें एचआरडी से एमएसडीई को स्थानांतरित की गई थी तथा 50 करोड़ रूपए की धनराशि संशोधित अनुमान चरण में आबंटित की गई थी।			
	** राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड, उद्यमशीलता विकास, मॉडल आईटीआई/बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान तथा सचिवालय, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक में नहीं है, सहित अन्य स्कीमें।			

****